ग्राउंड ब्रेकिंग : लखनऊ में शुरू होंगे 150 उद्योग

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। फरवरी में हुए इनवेस्टर्स समिट में जो एमओयू हुए थे, वे धरातल पर उतर रहे हैं। जल्द ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उन उद्योगों की शुरुआत की औपचारिक घोषणा होगी, जो चालू हो चुके हैं, या होने जा रहे हैं। एक तरीके से उनका शिलान्यास होगा।

इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले ही लखनऊ की जमीन पर 150 उद्योग उतरेंगे। करीब 30 से 50 हजार करोड़ की परियोजनाएं मूर्त रूप लेंगी। उद्योग लगने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने अफसरों की टीम लगाई है। इस टीम का कार्य उद्यमियों और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना है, ताकि उद्योग लगने में देरी न हो। ऑटोमोबाइल सेक्टर, होटल एवं फूड इंडस्ट्री, डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्र के उद्योग जल्द लगेंगे। इन उद्यमियों से जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी लगातार सम्पर्क में हैं। इन 150 उद्यमियों में आवास क्षेत्र के निवेशक शामिल नहीं हैं। इनको ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण तैयार कर रहा है।

डीएम सूर्य पाल गंगवार ने बताया कि जो उद्यमी विभिन्न सेक्टरों में निवेश कर रहे हैं, इन सभी ने फरवरी में हुए ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। कुछ उद्यमियों की एनओसी अलग-अलग विभागों में रुकी है। इसके लिए उपायुक्त डीआईसी और एक अपर जिलाधिकारी को नोडल बनाते हुए झटपट एनओसी की औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

फैक्ट्री का बिजली लोड बढ़ा: हाल में हुई उद्योग बंधु की बैठक में सरोजनीनगर के मेसर्स कृष्णा पेट्रोकैम का मुद्दा उठा था। फैक्ट्री मालिक ने 2019 में आवेदन कर पूरा पैसा जमा कर दिया था। इस मुद्दे को आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने प्रकाशित किया था। गुरुवार को उपायुक्त उद्योग एमके चौरसिया ने बताया कि बिजली लोड बढ़ा दिया है।

35 हजार रजिस्ट्रेशन

नए उद्योगों के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर 2020 में लॉन्च किया गया था। तब से लखनऊ में 35 हजार उद्यमियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जिला उद्योग केन्द्र के अनुसार 55 से 60 हजार उद्योग लखनऊ में पहले से ही स्थापित हैं। वहीं, सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत 1025 लोगों ने तीन वर्षों के दौरान बैंकों से लोन लिया है।

जमीन से जुड़े कार्य होंगे

उद्यमियों के जमीन संबंधित मामले 24 घंटे से अधिकतम तीन माह में हल किए जाएंगे। उदाहरण के लिए पैमाइश संबंधित प्रारम्भिक आदेश धारा 24 के अन्तर्गत वाद दायर करने के 24 घंटों में जारी हो जाएगा। पैमाइश अधिकतम तीन माह में हो जाएगी। जमीन के कई मालिक हैं तो राजस्व में बंटवारे यानी धारा 116 का मुकदमा दायर होगा।